

भारतीय जीवन बीमा निगम  
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)  
आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512  
केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021  
दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079  
ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, 22 अगस्त, 2023 को 1130 बजे (भा. म.स.), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मकों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

### साधारण व्यवसाय:

- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 बी, 24 सी और 25 बी के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (समेकित वित्तीय विवरणों सहित) पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 3 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश पर विचार करना और घोषित करना।
- लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और, इस संबंध में विचार करना, यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित संकल्पों को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

**"संकल्प किया जाता है** कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, निगम मेसर्स आरजीएन प्राइस एंड कंपनी चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 002785एस) और मेसर्स एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 105016डब्ल्यू/डब्ल्यू-100015) के स्थान पर निगम के निम्नलिखित वैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करता है:

क्र. संख्या	लेखापरीक्षक का नाम	कैग पैनल नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी	MD0068	चेन्नई	004137S / S-200041	3 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 5वीं एजीएम के समापन तक
2	मेसर्स बोरकर और मजूमदार	BO0007	मुंबई	101569W	5 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली 7 वीं एजीएम के समापन तक

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में निगम के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अवधि एवं नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक के लिए निगम के लिए अन्य मंडल लेखापरीक्षकों (ओडीए) को नियुक्त करने/पुनः नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) को उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में या आकस्मिक रूप से उठने वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अधिकृत किया जाता है। "

### विशेष व्यवसाय:

- निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

**"संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) और (बी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, भारत सरकार की 28 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक और प्रभारी श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में 29 अप्रैल, 2023 से 29 जून, 2024 तक एवं उसके पश्चात, 07 जून, 2025 तक निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,25,000/- (निर्धारित) के वेतनमान पर 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले है, तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।"

6. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री जगन्नाथ एम. (डीआईएन: 10090437) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, श्री जगन्नाथ एम. की नियुक्ति भारत सरकार की 13 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 13 मार्च, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी 31 मई, 2025), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

7. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री तबलेश पांडे (डीआईएन: 10119561) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, श्री तबलेश पांडे की नियुक्ति भारत सरकार की 13 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 01 अप्रैल, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख तक (यानी 31 मई, 2025) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया गया है।”

8. निगम की तीन विदेशी शाखाओं में निधियों के विभाजन से छूट और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 (2) के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम की तीन विदेशी शाखाओं नामतः एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस वित्त वर्ष 2022-23 के लिए और वित्त वर्ष 2022 के लिए एलआईसी फिजी के लिए धन के विभाजन और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन से छूट के लिए सदस्यों की कार्योत्तर सहमति दी जाती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है।”

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 (2) के प्रावधानों के अनुसरण में, भारतीय जीवन बीमा निगम की तीन शाखाओं नामतः वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस और वित्त वर्ष 2023 के लिए एलआईसी फिजी को धन के विभाजन और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन से छूट दी गई है, जैसा कि बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई है।”

9. निगम के संबंधी पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्यगण निदेशक मंडल को (जिनहे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत अधिकृत समिति), इस संकल्प द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सहयोगी कंपनियों/संबंधित पक्ष के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और/ या पूर्ण करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन या एकाक लेनदेन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा), जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगा, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक की नहीं होगी। सहयोगी कंपनियों/संबंधित पक्ष संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष है, चाहे निरंतरता के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों का नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन या नए और स्वतंत्र रूप में लेन-देन या अन्यथा जैसा कि निम्नलिखित है:

- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र/किसी भी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/सदस्यता लेना और उससे संबंधित लेनदेन;
- कोई भी अन्य अनुबंध/व्यवस्था या लेन-देन, जिसमें खर्चों की प्रतिपूर्ति और भुगतान शामिल है, जो कि यहीं तक सीमित नहीं है जैसा कि नाम उपयोग शुल्क और किसी भी अन्य लेन-देन का विवरण जैसा कि व्याख्यात्मक विवरण में दिया गया है

इस तथ्य के बावजूद की ऐसे सभी लेनदेन जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, सहयोगी (ओं) और / या संबंधित पक्ष (ओं) के साथ ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार का 10% से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्त कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन-देन हाथ की दूरी और निगम के सामान्य कारोबार के क्रम के निम्नानुसार किया जाएगा:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	प्रतिभूतियों/निवेशों की खरीद	लगभग ₹ 20,000 करोड़ तक

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गई अपनी सभी या किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत है। ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करना जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।”

10. डॉ. मारुती प्रसाद तन्निराला (डीआईएन: 03609968), सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (डी) के अनुसार, डॉ. मारुती प्रसाद तन्निराला की नियुक्ति भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2023 के तहत निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव के साथ तदनुसार आगे के आदेश तक नियुक्ति की जाती है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।”

11. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सतपाल भानू की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 के अनुसार, श्री सतपाल भानू की नियुक्ति भारत सरकार की 19 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 20 जुलाई, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (यानी 31 दिसम्बर, 2025), या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक की गई है और इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया गया है।”

बोर्ड के आदेश द्वारा  
**भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु**

हस्ताक्षर/-

**पवन अग्रवाल**

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी  
 (सदस्यता संख्या: एफसीएस 7744)

दिनांक: जुलाई 21, 2023

स्थान: मुंबई

#### केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम  
 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,  
 नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021,  
 दूरभाष नंबर : 022 - 2202 2079  
 ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)  
 वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

#### नोट्स:

- 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 के अनुसार, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के साथ पठित परिपत्र संख्या 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 21/2021 एवं 03/2022 (सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) दिनांकित क्रमशः 05 मई 2020, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एमसीए”) द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 को सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के साथ पढ़ा गया एवं इसके साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”/“एलआईसी अधिनियम”) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”/“सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015”) के अनुसरण में निगम ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (“ओवीएम”) (इसके बाद “इलेक्ट्रॉनिक साधनों” के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अपनी दूसरी एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
- जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण जो इस नोटिस (“सूचना”) के मद संख्या 3 से 11 के अंतर्गत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
- जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक सदस्य को शामिल होने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम स्थल, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और मार्ग नकशा इस नोटिस में संलग्न नहीं है।**
- सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के तहत विवरण और निदेशकों के संबंध में जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की मांग को इस एजीएम के नोटिस के अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न किया गया है जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम को नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों से संगत प्रासंगिक प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त हुई है।

5. सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम माध्यम से बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। सदस्य, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) कि ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस नोटिस कि टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कि गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अनुसार एवं उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों एवं आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के तहत गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1,000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ (प.अ.प.प.) के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में प.अ.प.प. के प्रवेश के कारण बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रमोटरों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को अपने प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुये बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सच्ची प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण संवीक्षक को पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) के साथ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अंकित एक प्रति ईमेल द्वारा भेजा जाये।
8. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।
9. वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते 21 जुलाई, 2023 (मंगलवार) को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डी.पी) के साथ पंजीकृत हैं। दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना निगम की वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर अपलोड कर दी गयी है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर देखा जा सकता है। यह नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।
10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

- क) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसरण में, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 3 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 थी।
- ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश, दूसरी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद सदस्यों को 20 सितंबर, 2023 (बुधवार) तक यानी अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों / लाभकारी मालिकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में उपलब्ध हैं।
- ग) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव करते हैं, निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। निगम बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं कर सकता है। अतः, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी बदलाव की सूचना के लिए तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।
- घ) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) अधिदेश पंजीकृत करें, जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (जैसे बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण), (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (iii) निगम के आरटीए को रद्द किया गया चेक पत्र ईमेल द्वारा [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) पर भेजे।
- ङ) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उनके लिए निगम किसी अन्य अनुमेय साधन के माध्यम से निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत पते पर लाभांश का भुगतान करेगा।
- च) वित्त अधिनियम 2020 के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, कृपया वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों को देखें।

एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है उसे पैन के साथ फॉर्म नंबर 15जी/15एच में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) सहित अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके कर निवास के देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन हैं जैसे कि कोई स्थायी स्थापना का घोषणापत्र, लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

इसके लिए शुक्रवार, 07 जुलाई, 2023 को सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम / रजिस्ट्रार / डीपी के साथ पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।

11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, धोखाधड़ी वाले लेन-देन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और रजिस्ट्रार को अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकित व्यक्ति या संयुक्त धारकों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करें, जैसा भी मामला हो।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पैन जमा करें, जिसके साथ वे अपने डीमैट खातों का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार (आरटीए) को अपना पैन विवरण जमा करें।

12. सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 40(1) के अनुसार, संशोधित रूप में, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने 25 जनवरी, 2022 के अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2022/8 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने का अधिदेश दिया है जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना, अस्वामिक सस्पेंस खाते से दावा, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/विनियम, अनुमोदन, प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन, प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन।

इसके अलावा, यह ध्यान दे, कि किसी भी सेवा अनुरोध को केवल तभी संसाधित किया जा सकता है जब फोलियो केवाईसी अनुपालन हो। सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन के लिए सभी अनुरोधों को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अभौतिकीकरण के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में अपने पास रखे गए शेयरों को अभौतिक बना दें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

13. जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 5ई के प्रावधानों के अनुसरण में, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से, एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

#### 14. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड:

सेबी के 16 मार्च, 2023 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD-1/P/ CIR/2023/37 के अनुसरण में सेबी द्वारा जारी पूर्व के परिपत्रों संख्या SEBI/HO/ MIRSD/ MIRSD RTAMB /P/CIR/2021/655 और SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/687 दिनांक 3 नवम्बर 2021 और 14 दिसम्बर 2021 की जगह जारी की गई है, सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर रिकॉर्ड करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिन फोलियो में उद्धृत दस्तावेजों/विवरणों में से कोई एक, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

फ्रीज हुए फोलियो में प्रतिभूतियां पात्र होंगी:

- ✓ ऊपर उल्लेखित पूर्ण दस्तावेजों / विवरणों को प्रस्तुत करने के बाद ही कोई शिकायत दर्ज करना या किसी भी सेवा का लाभ उठाना;
- ✓ लाभांश, ब्याज या मोचन राशि (जो केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा) सहित कोई भी भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र है, केवल तभी जब वे उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे जल्द से जल्द सहायक दस्तावेजों के साथ आवश्यक फॉर्म जमा करें। जिन सदस्यों के पास डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं और वे अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें। इसके अलावा, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनका पैन आधार से जुड़ा हुआ है ताकि फोलियो को फ्रीज करने से बचा जा सके। ऐसे फ्रीज किए गए फोलियो को आरटीए/निगम द्वारा 31 दिसंबर, 2025 के बाद बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

नोटिस जारी होने की तारीख तक, निगम ने भौतिक रूप में कोई शेयर जारी नहीं किया है।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी के तहत, अस्वामिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अस्वामिक या बिना दावे के शेष लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('आईईपीएफ') में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, उन सभी शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है/ अस्वामिक रहता है।

16. एजीएम के दौरान वैधानिक रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के संदर्भ में नोटिस में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

#### 17. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी / आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए एवं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:

- (i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वह <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करके या फोलियो नंबर के विवरण के साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर आरटीए को लिखकर अपने ईमेल को [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) पते पर भेजकर पंजीकृत/अपडेट करें।

- (ii) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लार्क मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) को प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिंदु संख्या 21 **चरण 1 (ए)** में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी, **ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने की विधि है।**
- (iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान कराकर ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- (iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।
18. एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग:
- (i) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, निगम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ (रिमोट) ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (ii) 14 अगस्त, 2023 की कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में केवल कट-ऑफ तिथि तक दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग का लाभ उठाने का हकदार होगा। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक या शेयरधारक जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस प्रेषण के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 14 अगस्त, 2023 को शेयरधारण करता है, वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- (iii) डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और नोटिस प्रेषण के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि यानी 14 अगस्त, 2023 को शेयरधारण करते हैं, वह बिंदु संख्या 21 में नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- (iv) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि शुरुवार, 18 अगस्त, 2023 को 0930 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी है और सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को 1700 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त, 2023 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- (v) एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मत प्राप्त होने के अध्याधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख अर्थात् 22 अगस्त, 2023 को पारित माना जाएगा।
- (vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बैठक के समापन के 15 मिनट पश्चात मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
19. श्रीमती अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एन.एस. (सदस्यता संख्या एसीएस 61955), मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। परीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। परीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को स्टॉक एक्सचेंजों, को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट, [www.licindia.in](http://www.licindia.in) में 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अधीन भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
20. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:
- (i) सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम प्रणाली से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली** की पहुंच के लिए सदस्य बिंदु संख्या 21 के तहत नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करके अभिगम कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने **“सामान्य बैठक में शामिल हों”** मेनू के तहत रखे गए “वीसी/ओएवीएम” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत दिये गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का **EVEN (124695)** प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस

एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

- (iii) सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, अपने पंजीकृत ईमेल पते से दूसरी एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरण या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 (0930 बजे) से रविवार, 20 अगस्त, 2023 (1700 बजे) तक भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा भेजे गए ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।
- (iv) जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपीआईडी एवं क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर गुरुवार, 17 अगस्त, 2023 (0930 बजे) से रविवार, 20 अगस्त, 2023 (1700 बजे) के बीच एक अनुरोध भेजकर अपना पूर्व पंजीकरण करा सकते हैं। एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर निगम, वक्ताओं की संख्या को संरक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वे श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in)/1800 1020 990 या 1800 224 430 पर संपर्क कर सकते हैं।

**21. दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 को 0930 बजे शुरू होती है और सोमवार, 21 अगस्त, 2023 को 1700 बजे समाप्त होती है। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (कट-ऑफ तारीख) यानी 14 अगस्त, 2023 को सदस्यों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेरधारकों का मतदान का अधिकार 14 अगस्त, 2023 को कट-ऑफ तिथि को निगम की चुकता इक्विटी शेरर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।**

**में एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे करूँ?**

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में **ठटो चरण** शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:



**चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच**

**ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेरधारक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट यानी <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सेवाओं के होम पेज पर 'लॉगिन' के तहत 'लाभकारी स्वामी' आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएएस' अनुभाग के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर फिर से निर्देशित किया जाएगा।</li> <li>यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर उपलब्ध है। ठाईडीईएएस पोर्टल 'के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें' चुनें या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</li> <li>एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a>। एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन 'लॉगिन' पर क्लिक करें जो 'शेरधारक / सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।</li> </ol>

<p>शेयरधारकों के प्रकार</p>	<p><b>लॉगिन विधि</b></p> <p>4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप 'एनएसडीएल स्पीड' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p>   </div>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जिन उपयोगकर्ताओं ने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> पर या <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर, न्यू सिस्टम माईईजीपर क्लिक करें।</li> <li>ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे। मेन्यू में <b>ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी एनएसडीएल का लिंक दिया होगा</b>। अपना वोट डालने के लिए <b>एनएसडीएल</b> पर क्लिक करें।</li> <li>यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a> पर उपलब्ध है।</li> <li>वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है।</li> </ol>
<p>व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करके, आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्युअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।</p>

**माहत्वपूर्ण टिप्पणी:** जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

**डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए सहायताडेस्क।**

लॉगिन प्रकार	सहायताडेस्क विवरण
<p>एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<p>लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।</p>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<p>लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर या 022- 23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।</p>

**बी) डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और वर्युअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति।**

**एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?**

- एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर वेब ब्राउज़र खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com/>।
- एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, आइकन ठलॉगिनट पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।
- इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक वेरिफिकेशन कोड डालना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपनेमोजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बारजब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।



4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID IN300***12*****
बी) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता ID 12*****
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	EVEN नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN vebyej 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** है

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
- (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से NSDL से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक PDF फाइल खोलें। PDF फाइल खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। PDF फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता ID' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' है।
- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।**

6. यदि आप टप्रारंभिक पासवर्ड पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं हुए हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

- a) [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विकल्प **उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए?** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।
- b) [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विकल्प **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** पर क्लिक करें (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रख रहे हैं) विकल्प है।
- c) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- d) एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ठनियम और शर्तों पर टिक करें।
8. अब, आपको ठलॉगिनट बटन पर क्लिक करना होगा।
9. ठलॉगिनट बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

## चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों।

### इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में शामिल हों?

- चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों "EVEN" को देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनकी मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
- उस कंपनी के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्युअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "सामान्य बैठक में शामिल हों" के तहत रखे गए "वीसी / ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें, यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबमिट" और "पुष्टि" पर क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, संदेश "सफलतापूर्वक वोट डालें" प्रदर्शित किया जाएगा।
- आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

**वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:**

- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति का विवरण समान होगा।

**शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:**

- यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विवल्प **उपयोगकर्ता विवरण /पासवर्ड भूल गए?** या **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** पर जाना आवश्यक होगा।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को अनुरोध भेज सकते हैं: [sanjevy@nsdl.co.in](mailto:sanjevy@nsdl.co.in) और / या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)।

**जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण:**
**मद संख्या 3**

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 बी के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 3 अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा घोषणा के अधीन है। यह 5.22% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है। यह 24 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सूचना (नोटिस) में निर्धारित मद संख्या 3 के अंतर्गत निहित प्रस्ताव को अपनाएं।

**मद संख्या 4**

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के साथ-साथ जीवन बीमा अधिनियम, 1956 ("एलआईसी अधिनियम, 1956") की धारा 25 के अनुसार और सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य मंडल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के प्रावधानों (समय-समय पर संशोधित, किसी भी नाम से निगम के बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षकों के चयन पर अनुमोदित नीति) के अनुसार निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

निगम के दो सांविधिक लेखापरीक्षक (एसए) अर्थात् मेसर्स आरजीएन प्राइस एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या: 002785एस) और मेसर्स एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या: 105016डब्ल्यू/डब्ल्यू-100015), 22 अगस्त, 2023 को होने वाली निगम की दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन पर सेवानिवृत्त होते हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसरण में और लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर निगम ने 24 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित फर्मों को निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है:

क्र. संख्या	लेखा परीक्षक का नाम	कैग पैनल नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी	MD0068	चेन्नई	004137S / S-200041	3 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 5वीं एजीएम के समापन तक
2	मेसर्स बोरकर और मजूमदार	BO0007	मुंबई	101569W	5 साल के लिए, दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली 7 वीं एजीएम के समापन तक

मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 004137एस/एस-200041) ने निगम के संभागीय लेखापरीक्षक के रूप में दो साल पूरे कर लिए हैं और दूसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली 5 वीं एजीएम के समापन तक 3 वर्षों की शेष अवधि के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों एवं इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप है।

मेसर्स आर सुब्रमण्यम एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 004137एस/एस-200041) और मेसर्स बोरकर एंड मजूमदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101569डब्ल्यू) ने उक्त नियुक्ति के लिए सहमति व्यक्त की है और पुष्टि की है कि यदि उनकी नियुक्ति की जाती है, तो लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अन्य निबंधन और शर्तों एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। एसए के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित फर्मों के नाम एजीएम नोटिस के मद संख्या 4 के तहत निहित प्रस्ताव में दिए गए हैं।

इसके अलावा, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार निगम के अन्य मंडल लेखापरीक्षकों (ओडीए) की नियुक्ति और/या पुनः नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर नियुक्ति के लिए उनके निबंधन और शर्तों एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित करने का भी प्रस्ताव है।

निगम के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी या उनके रिश्तेदार उक्त प्रस्ताव में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड एजीएम सूचना (नोटिस) के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 5

भारत सरकार ने 11 मार्च, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां और कार्य अंतरिम रूप से प्रबंध निदेशक श्री सिद्धार्थ मोहंती को 14 मार्च, 2023 से तीन महीने की अवधि के लिए या उक्त पद पर नियमित नियुक्ति द्वारा प्रभार ग्रहण करने या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक सौंपा गया था।

भारत सरकार ने 28 अप्रैल, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, श्री सिद्धार्थ मोहंती, प्रबंध निदेशक और प्रभारी को 29 अप्रैल, 2023 से 29 जून, 2024 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष और उसके उपरान्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 07 जून, 2025 तक जोकि उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले है ₹ 2,25,000 (निर्धारित) के वेतनमान में नियुक्त किया है।।

श्री मोहंती, 29.04.2023 से निगम के अध्यक्ष हैं, उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और कला (राजनीति विज्ञान) में मास्टर डिग्री है और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा से बिजनेस मैनेजमेंट पर स्नातकोत्तर प्रमाणन भी है। निगम के अध्यक्ष बनने से पहले, श्री मोहंती ने निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री मोहंती ने संगठन को एक सूचीबद्ध इकाई में बदलने में योगदान दिया।

भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले श्री मोहंती एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीओओ और सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। उनके लंबे और शानदार कार्यकाल में उनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न अन्य पदों पर भी कार्य किया गया है, जैसे कि रायपुर और कटक के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, मुख्य (कानून विभाग), मुख्य (निवेश - बैंक ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (कानून), एवं अन्य। प्रमुख (कानून), मुंबई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, निगम ने लीगल एरा अवार्ड्स 2013-14 में "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा इन-हाउस लीगल टीम" अवार्ड जीता। श्री मोहंती वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में श्री सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम नोटिस में मद संख्या 5 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री सिद्धार्थ मोहंती और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई भी अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या नंबर 5 के तहत निहित प्रस्ताव को पारित करने में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

## मद संख्या 6

भारत सरकार ने 13 मार्च, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री जगन्नाथ एम. को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (जोकि 31 मई 2025) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री जगन्नाथ एम. ने 13 मार्च 2023 को कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री जगन्नाथ एम., 1988 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में निगम में नियुक्त हुए। उनके पास विपणन में समृद्ध अनुभव है और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं और बड़ी टीमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। वह एक वाणिज्य स्नातक है और उनकी शैक्षणिक योग्यता में शामिल है, सीए (इंटर), पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट (आईआईआरएम), हैदराबाद से इंटरनेशनल पीजी डिप्लोमा इन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एवं इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई के एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने एर्नाकुलम, धारवाड़ और बैंगलोर - 1 मण्डल कार्यालयों के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक (प्रभारी) के रूप में काम किया है। उन्होंने 2009 से 2013 के बीच, 4 साल की अवधि के लिए जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड, कोलंबो, श्रीलंका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उनका पिछला कार्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दक्षिण मध्य क्षेत्र, हैदराबाद के रूप में रहे है। जिसमें तीन राज्य, यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री जगन्नाथ एम. की नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री जगन्नाथ एम. और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई भी अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 7

भारत सरकार ने 13 मार्च, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री तबलेश पांडे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि या 01 अप्रैल, 2023 या उसके पश्चात से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (जो कि 31 मई 2025) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री तबलेश पांडे ने 1 अप्रैल 2023 को कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री तबलेश पांडे, फरवरी, 1988 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। वह कृषि इंजीनियरिंग में बी. टेक हैं। वह बीमांकिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। श्री पांडे इससे पहले भोपाल, पटना और चेन्नई में क्षेत्रीय प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने प्रमुख (बीमांकिक), प्रमुख (पी एंड जीएस) और कार्यकारी निदेशक (निवेश-मध्य कार्यालय) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनका पिछला कार्य निगम के कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में रहे है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री तबलेश पांडे की नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 7 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री तबलेश पांडे और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई भी अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 7 के तहत निहित प्रस्ताव को पारित करने में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

भारत सरकार द्वारा 30.06.2021 को एलआईसी अधिनियम 1956 में अधिसूचित संशोधनों के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 24 में दो निधियों, अर्थात् भाग लेने वाले और गैर-भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों की निधियों को बनाए रखने का प्रावधान है। इसके अलावा, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28 में निगम के सहभागी और गैर-प्रतिभागी व्यवसाय से उत्पन्न अधिशेष के वितरण के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

जीवन बीमा निगम, 1956 की धारा 28 के तहत निगम की अधिशेष वितरण नीति बनाई गई है, जो निगम की सभी जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होती है। अधिशेष वितरण नीति के अनुसार, पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के बीच साझा की जाने वाली और भाग लेने वाली निधि के तहत अधिशेष का अनुपात वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए मौजूदा 95:5 से 92.5:7.5 और फिर वित्त वर्ष 2024-25 से 90:10 तक धीरे-धीरे बदलने का प्रस्ताव है।

संशोधित अधिनियम की धारा 24(2) के अनुसार, सदस्य, सामान्य बैठक में संकल्प द्वारा, एक बार में एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे धन के रखरखाव से छूट दे सकते हैं, जोकि अधिकतम दो वित्तीय वर्षों तक ही पारित की जा सकती है।

निधियों के विभाजन और तीन विदेशी शाखाओं में अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन में किए गए व्यय भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरधारकों को बढ़े हुए मूल्यांकन अधिशेष के रूप में प्राप्त लाभों से कहीं अधिक हो सकते हैं। इसके अलावा, तीन विदेशी शाखाओं द्वारा विभाजित धन को बनाए रखने में विभिन्न नियामक जटिलताएं शामिल हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस और वित्त वर्ष 2022 के लिए एलआईसी फिजी द्वारा 95:5 का अधिशेष वितरण पैटर्न बनाए रखा गया है।

ऊपर बताए गए कारणों के लिए, बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की उपरोक्त धारा 24 (2) के संदर्भ में वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों की कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करने की सिफारिश की है, ताकि तीन विदेशी शाखाओं को धन के विभाजन और अधिशेष वितरण नीति के कार्यान्वयन से छूट मिल सके, एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए और एलआईसी फिजी शाखा में वित्त वर्ष 2022 के लिए एवं एलआईसी यूके और एलआईसी मॉरीशस में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए और एलआईसी फिजी शाखा में वित्त वर्ष 2023 के लिए छूट की सिफारिश की है।

इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे तीन विदेशी शाखाओं के संबंध में साधारण संकल्प के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव को उक्त वित्तीय वर्षों के लिए एलआईसी यूके, एलआईसी मॉरीशस और एलआईसी फिजी को अपना अनुमोदन प्रदान करें।

निगम के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी या उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

निगम का निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस सूचना के मद संख्या 8 में निर्धारित साधारण संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 9

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री/खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का निपटान या पट्टा, किसी भी वस्तु, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव्स की सदस्यता की हामीदारी, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन निर्धारित राशि से अधिक है। भले ही ऐसे लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में हो या हाथ की दूरी पर हो वह सभी सदस्यों के पूर्व अनुमोदन से मुक्त थे।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी भी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक है, के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य व्यवसाय के दौरान या सीधे तौर पर न हों। 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्ध विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ भौतिक लेनदेन माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ लिया जाने वाला लेनदेन इसमें से कम हो ₹1,000 करोड़ से अधिक है या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10% है, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2024 के लिए संबंधित पक्षों के साथ सामान्य व्यवसाय के दौरान या हाथ की दूरी पर संबंधित व्यवसाय में संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार, निगम ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि मद संख्या 9 में संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी दे दी है और टिप्पणी कि है कि यद्यपि ये लेनदेन सामान्य व्यवसाय में हैं और सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, वे सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत भौतिक से संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है की सेबी के नवंबर, 2021 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2021/662 के तहत आवश्यकतानुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए संबंधित पक्ष से भौतिक लेनदेन का विवरण यहां दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार
1	संबंधित पक्ष का नाम	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
2	रिश्ते की प्रकृति	सहयोगी कंपनी
3	लेन-देन का मूल्य	₹ 20,000 करोड़
4	भौतिक शर्तें	90 दिन का प्रतिदान
5	संबंध या रुचि की प्रकृति (वित्तीय / अन्यथा)	वित्तीय
6	लेन-देन की अवधि	90 दिन
7	लेनदेन के मूल्य का प्रतिशत/ कंपनी का वार्षिक समेकित कारोबार तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के लिए (वित्त वर्ष 2022 के समेकित कारोबार के आधार पर)	0.05%
8	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	निवेश योग्य अधिशेष
9	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार
10	निवेश की लागू शर्तें जैसे अनुबंध, अवधि, ब्याज दर, पुनःभुगतान अनुसूची, सुरक्षित / असुरक्षित, यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं
11	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष के लेनदेन के अनुसरण में ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा	धन की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन
12	संबंधित पक्ष का लेन-देन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है, इसका औचित्य	धन की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन
13	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट	लागू नहीं

उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/अधिकार प्राप्त/गठित की जाने वाली किसी समिति (समितियों)) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का विचार रखता है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या शृंखला) जैसी व्यवस्थाओं और लेन-देनों को एलआईसी म्यूचुअल फण्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड जो कि संबंधित पक्ष है, चाहे वे नवीकरण या विस्तार के माध्यम से हों या पूर्व व्यवस्थाओं/लेन-देनों के संशोधन के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेन-देन के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे सभी लेन-देन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता सीमा से अधिक हो जैसा कि ऊपर बताया गया है।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस नोटिस के मद संख्या 9 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन में एक पक्ष हो या नहीं। निदेशकों में से कोई भी, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, उपयुक्त संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित/ इच्छुक नहीं हैं, सिवाय इसके कि कंपनी में और ऊपर उल्लिखित इकाई में उनकी शेरधारिता / निदेशक पद, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 9 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

### मद संख्या 10

भारत सरकार ने दिनांक 28 जून, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला को श्री सुचिन्द्र मिश्र के स्थान पर अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला भारतीय डाक और टेलीग्राफ लेखा और वित्त सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में राजस्व आश्वासन, वित्तीय सलाह, सतर्कता, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग वित्त के क्षेत्रों में और वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण के रूप में दूरसंचार क्षेत्र के नियामक, ट्राई में भी तीन कार्यकालों में अंतिम बार प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कार्यकारी निदेशक के रूप में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), हैदराबाद में भी कार्य किया। वह बीएसएनएल में सरकार द्वारा नामित निदेशक थे, और आईआरडीएआई में अपने कार्यकाल के दौरान बीमा सूचना ब्यूरो और बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान के बोर्ड में भी थे। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग में दो कार्यकाल में कार्य किया है।

वह सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी स्कॉलर हैं, जहां उनकी थीसिस भारतीय दूरसंचार सेवा क्षेत्र में नियामक शासन के संस्थागत पहलुओं पर थी, जिसे राउतलेग्डे द्वारा एक मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया गया था। वह वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला की नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 10 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई भी अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 10 के तहत निहित प्रस्ताव को पारित करने में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 10 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

### मद संख्या 11

भारत सरकार ने 19 जुलाई, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री सतपाल भानू को पदग्रहण करने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक (जोकि 31 दिसंबर 2025) या अगले आदेश तक, जो भी जल्द हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री सतपाल भानू ने 20 जुलाई 2023 की कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री सतपाल भानू, अक्टूबर 1988 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए। उनके पास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि है।

श्री सतपाल भानू मध्य क्षेत्र, भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी) थे। उन्होंने निगम में कई अन्य प्रमुख पदों पर कार्य किया जैसे कि बेंगलोर - I और शिमला डिवीजनों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक; प्रादेशिक प्रबंधक (सूक्ष्म बीमा), प्रादेशिक प्रबंधक (कॉर्पोरेट संचार), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के प्रादेशिक प्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) और अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल। वह केंद्रीय कार्यालय में प्रमुख (विपणन/वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी) भी रह चुके हैं।

श्री सतपाल भानू मानव संसाधन विकास को संगठन के विकास में महत्वपूर्ण कारक मानते हैं और लोगों से मिलकर उन्हें निगम में सर्वोत्तम योगदान देने और जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना पसंद करते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री सतपाल भानू की नियुक्ति की औपचारिक मंजूरी लेने के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 11 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री सतपाल भानू और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई भी अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद संख्या 11 के तहत निहित संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम नोटिस के मद संख्या 11 के तहत निर्धारित प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश द्वारा  
**भारतीय जीवन बीमा निगम हेतु**

**हस्ताक्षर**

**पवन अग्रवाल**

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी  
(सदस्यता संख्या: एफसीएस 7744)

दिनांक: जुलाई 21, 2023

स्थान: मुंबई

### केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर : 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में विवरण:

निदेशक का नाम	श्री सिद्धार्थ मोहंती
उम्र	60 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यताएँ	एमए, एलएलबी, पीजीसीबीएम और लाइसेंसिएट, भारतीय बीमा संस्थान
डीआईएन	08058830
संक्षिप्त विवरण	<p>श्री मोहंती, 29.04.2023 से निगम के अध्यक्ष हैं, उनके पास उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और कला (राजनीति विज्ञान) में मास्टर डिग्री है और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा से बिजनेस मैनेजमेंट पर स्नातकोत्तर प्रमाणन भी है। निगम के अध्यक्ष बनने से पहले, श्री मोहंती ने निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री मोहंती ने संगठन को एक सूचीबद्ध इकाई में बदलने में योगदान दिया।</p> <p>भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले श्री मोहंती एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीओओ और सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। उनके लंबे और शा-नदार कार्यकाल में उनके द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न अन्य पदों पर भी कार्य किया गया है, जैसे कि रायपुर और कटक के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, मुख्य (कानून विभाग), मुख्य (निवेश - बैंक ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (कानून), एवं अन्य। प्रमुख (कानून), मुंबई के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, निगम ने लीगल एसा अवाइडर्स 2013-14 में "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा इन-हाउस लीगल टीम" अवार्ड जीता। श्री मोहंती वर्ष 1985 में एक प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है।</p>
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, जीवन बीमा, विधि, विपणन और कॉर्पोरेट प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की 20 जनवरी, 2021 और 28 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना के साथ पठित पत्र दिनांकित 11 मार्च, 2023 अनुसार हुआ है। अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है: <a href="https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को पृष्ठ संख्या 72 से 110 पर देखें।
जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया	02 फरवरी, 2021
निगम में श्रेयधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को पृष्ठ संख्या 72 से 110 पर देखें।
अन्य कंपनियों में निदेशकों/समिति में अध्यक्षता और में सदस्यता का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को पृष्ठ संख्या 72 से 110 पर देखें।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनी)	उन्होंने 02 फरवरी, 2021 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण निम्नलिखित सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड से 31 जनवरी, 2021 को इस्तीफा दे दिया है: (i) केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ii) एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निदेशक का नाम	श्री जगन्नाथ एम.
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यताएँ	बी कॉम, सीए (इंटर), पीजीडीएम और जीवन बीमा, सामान्य बीमा और जोखिम प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पीजीडी
डीआईएन	10090437
संक्षिप्त विवरण	वह निगम के प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास विपणन में समृद्ध अनुभव है और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बड़ी टीमों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। उनकी शैक्षणिक योग्यता में वाणिज्य स्नातक, सीए (इंटर), पीजी डिप्लोमा विपणन, अंतर्राष्ट्रीय पीजी डिप्लोमा जीवन बीमा, साधारण बीमा एवं जोखिम प्रबंधन में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन (आईआईआरएम), हैदराबाद से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई के एसोसिएट सदस्य शामिल हैं। उन्होंने एर्नाकुलम, धारवाड़ और बेंगलूर - 1 मण्डलों के प्रभारी वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक के रूप में काम किया है। उन्होंने 2009 और 2013 के बीच 4 साल की अवधि के लिए जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड, कोलंबो, श्रीलंका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उनका पिछला कार्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दक्षिण मध्य क्षेत्र, हैदराबाद के रूप में था, जिसमें तीन राज्य यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, विपणन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन

नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	13 मार्च, 2023 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार हुआ है। अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है: <a href="https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को पृष्ठ संख्या 72 से 110 पर देखें।
जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया	13 मार्च, 2023
निगम में शेरधारिता का विवरण	100 इक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को पृष्ठ संख्या 72 से 110 पर देखें।
अन्य कंपनियों में निदेशकों/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को पृष्ठ संख्या 72 से 110 पर देखें।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनी)	शून्य

निदेशक का नाम	श्री तबलेश पांडे
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यताएं	बी.टेक. (कृषि इंजीनियरिंग) और बीमांकिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य
डीआईएन	10119561
संक्षिप्त विवरण	श्री तबलेश पांडे, फरवरी, 1988 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए और उन्हें बीमा क्षेत्र और उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। वह कृषि इंजीनियरिंग में बी. टेक हैं। वह बीमांकिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। श्री पांडे इससे पहले भोपाल, पटना और चेन्नई में क्षेत्रीय प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने प्रमुख (बीमांकिक), प्रमुख (पी एंड जीएस) और कार्यकारी निदेशक (निवेश-मध्य कार्यालय) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनका पिछला कार्य निगम के कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में था।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, जीवन बीमा, बीमांकिक और कॉर्पोरेट प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	13 मार्च, 2023 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार हुआ है। अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है <a href="https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया	01 अप्रैल, 2023
निगम में शेरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशकों/समिति में अध्यक्षता और में सदस्यता का विवरण	अध्यक्ष/निदेशक अन्य ईकाईयों पर:- <ul style="list-style-type: none"> <li>एल आई सी कार्डस सर्विसेस लिमिटेड</li> <li>जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड</li> <li>एल आई सी म्यूचल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड</li> </ul> समिति पर अध्यक्ष/सदस्य : कोई नहीं
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनी)	शून्य

निदेशक का नाम	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यताएं	बीई (सिविल), पीजीडीएम, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी
डीआईएन	03609968
संक्षिप्त विवरण	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला भारतीय डाक और टेलीग्राफ लेखा और वित्त सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में राजस्व आश्वासन, वित्तीय सलाह, सतर्कता, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग वित्त के क्षेत्रों में और वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण के रूप में दूरसंचार क्षेत्र के नियामक, ट्राई में भी तीन कार्यकालों में अंतिम बार प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कार्यकारी निदेशक के रूप में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), हैदराबाद में भी कार्य किया। वह बीएसएनएल में सरकार द्वारा नामित निदेशक थे, और आईआरडीएआई में अपने कार्यकाल के दौरान बीमा सूचना ब्यूरो और बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान के बोर्ड में भी थे। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग में दो कार्यकालों में कार्य किया है।



	वह सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएचडी स्कॉलर हैं, जहां उनकी थीसिस भारतीय दूरसंचार सेवा क्षेत्र में नियामक शासन के संस्थागत पहलुओं पर थी, जिसे राउतलेगडे द्वारा एक मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया गया था। वह वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वित्त, प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	28 जून, 2023 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: <a href="https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया था	28 जून, 2023
निगम में शेरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशक/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता का विवरण	सरकार नामित निदेशक/सदस्य अन्य ईकाई के बोर्ड पर: <ul style="list-style-type: none"> <li>• इंडियन बैंक</li> <li>• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड)</li> <li>• भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसीरि)</li> <li>• भारतीय बीमा विनियानक और विकास प्रधिकरण (आईआरडीएआई)</li> </ul> समिति के अध्यक्ष/सदस्य : कोई नहीं
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूची-बद्ध कंपनियों)	शून्य

निदेशक का नाम	श्री सतपाल भानू
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यताएं	स्नातक इतिहास (ऑनर्स)
डीआईएन	लागू नहीं
संक्षिप्त विवरण	श्री सतपाल भानू अक्टूबर 1988 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए। उनके पास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि है।  श्री सतपाल भानू मध्य क्षेत्र, भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी) थे। उन्होंने निगम में कई अन्य प्रमुख पदों पर कार्य किया जैसे कि बैंगलोर-1 और शिमला मण्डलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रादेशिक प्रबंधक (सूक्ष्म बीमा), प्रादेशिक प्रबंधक (कॉर्पोरेट संचार), प्रादेशिक प्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली और अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल। वह केंद्रीय कार्यालय में प्रमुख (विपणन/वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी) भी रह चुके हैं।  श्री सतपाल भानू मानव संसाधन विकास को संगठन के विकास में महत्वपूर्ण कारक मानते हैं और लोगों से मिलकर उन्हें निगम में सर्वोत्तम योगदान देने और जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना पसंद करते हैं।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, जीवन बीमा, मानव संसाधन और कॉर्पोरेट प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की 19 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के अनुसार हुआ है। अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: <a href="https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://origin19953.licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
जिस दिनांक पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया	20 जुलाई, 2023
निगम में शेरधारिता का विवरण	50 इक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	लागू नहीं
अन्य कंपनियों में निदेशकों/समिति अध्यक्षता और में सदस्यता का विवरण	शून्य
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूची-बद्ध कंपनी)	शून्य

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 153 एवं उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार, निदेशक द्वारा डीआईएन धारण करना निगम पर लागू नहीं है, तथापि, श्री सतपाल भानू कुछ ही समय में डीआईएन प्राप्त कर लेंगे।)

अस्वीकरण : दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जायेगी।

**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**  
(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

**Central Office:** 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

**Tel. No.:** 022 – 2202 2079

**Email:** [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); **Website:** [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

**NOTICE OF THE 2<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON TUESDAY, THE 22<sup>ND</sup> DAY OF AUGUST, 2023, AT 1130 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”) TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:**

**ORDINARY BUSINESS:**

- To consider and adopt the audited financial statements of the Corporation (including the consolidated financial statements) for the financial year ended on March 31, 2023, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2023, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- To consider and declare Final Dividend of ₹3 per equity share for the Financial Year ended on March 31, 2023 as recommended by the Board in terms of Section 28B(1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION:

**“RESOLVED THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and other applicable provisions, if any, the Corporation hereby approves the appointment of following Statutory Auditors of the Corporation in place of M/s RGN Price & Co., Chennai (Firm Registration No.: 002785S) and M/s ABM & Associates LLP, Mumbai (Firm Registration No.: 105016W/W-100015), the retiring Statutory Auditors at such terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

S. No.	Name of Auditor	CAG Empanelment Number	Head Office	Firm Registration Number (FRN)	Tenure of appointment
1	M/s R. Subramanian and Co. LLP	MD0068	Chennai	004137S / S-200041	3 years commencing from the conclusion of 2 <sup>nd</sup> AGM till the conclusion of the 5 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2026
2	M/s Borkar & Muzumdar	BO0007	Mumbai	101569W	5 years commencing from the conclusion of 2 <sup>nd</sup> AGM till the conclusion of the 7 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2028

**RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and other applicable provisions, if any, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint other Divisional Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board), be and are hereby authorised, to settle all questions that may arise in connection with or incidental to give effect to the above resolutions.”

**SPECIAL BUSINESS:**

- To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Siddhartha Mohanty (DIN: 08058830) as Whole time Chairperson of the Corporation:

**“RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(a) & (b) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Mr. Siddhartha Mohanty, Managing Director & in-charge of Life Insurance Corporation of India vide Government of India’s notification dated April 28, 2023, who assumed charge as Whole Time Chairperson of the Corporation w.e.f., April 29, 2023 till June 29, 2024 and thereafter, as Chief Executive Officer and Managing Director of the Corporation till June 07, 2025, i.e., up to the date of his attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier in the pay scale of ₹ 2,25,000/- (fixed) be and is hereby approved, as recommended by the Board”.

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Jagannath M. (DIN: 10090437) as Managing Director of the Corporation:

**“RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Mr. Jagannath M. vide Government of India’s notification dated March 13, 2023, who assumed charge as Managing Director of the Corporation in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., March 13, 2023 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., May 31, 2025), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board”.

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Tablesh Pandey (DIN: 10119561) as Managing Director of the Corporation:

**“RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Mr. Tablesh Pandey vide Government of India’s notification dated March 13, 2023, who assumed charge as Managing Director of the Corporation in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., April 01, 2023 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., May 31, 2025) or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board”.

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for approval of exemption from bifurcation of funds and implementation of surplus distribution policy in three overseas branches of the Corporation:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 24(2) of Life Insurance Corporation Act, 1956, the post-facto consent of the members, be and is hereby accorded for exemption from bifurcation of funds and Implementation of Surplus Distribution Policy for the three overseas branches of Life Insurance Corporation of India viz; LIC UK and LIC Mauritius for the FY 2022-23 and LIC Fiji for FY 2022, as recommended by the Board.

**RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to the provisions of Section 24(2) of Life Insurance Corporation Act, 1956, the three overseas branches of Life Insurance Corporation of India viz; LIC UK and LIC Mauritius for the FY 2023-24 and LIC Fiji for FY 2023, be and are hereby exempted from bifurcation of funds and Implementation of Surplus Distribution Policy, as recommended by the Board”.

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with Related Party Transactions’ of Life Insurance Corporation of India (the Corporation), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/ or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2023-24 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with Associate Companies/related party(ies), being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto;
- (ii) any other contracts/ arrangements or transactions including but not limited to reimbursement of expenses and payment of name usage fee and any other transactions as provided in the explanatory statement

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2023-24 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with associate(s) and/or related party(ies), may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover as per the Corporation’s audited financial statements for the financial year 2022-23, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm’s length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2023-24 and upto the date of next AGM
LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Purchase of securities/ investments	Approximately up to ₹ 20,000 crore

**RESOLVED FURTHER THAT** Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do

## Notice



all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to above resolutions.”

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala (DIN: 03609968) as Government Nominee Director of the Corporation:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala vide Government of India’s notification dated June 28, 2023, appointing him as Government Nominee Director on the Board of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved as recommended by the Board.”

11. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Sat Pal Bhanoo as Managing Director of the Corporation:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Mr. Sat Pal Bhanoo vide Government of India’s notification dated July 19, 2023, who assumed charge as Managing Director of the Corporation in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., July 20, 2023 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., December 31, 2025) or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board”.

By Order of the Board  
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-  
**Pawan Agrawal**  
Company Secretary & Compliance Officer  
(Membership No.: FCS 7744)

Date : July 21, 2023  
Place: Mumbai

### Central Office:

Life Insurance Corporation of India  
'Yogakshema',  
Jeevan Bima Marg,  
Nariman point, Mumbai – 400 021  
Tel. No: 022 – 2202 2079  
Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)  
Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

### NOTES:

- Pursuant to the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, which is in continuation of Ministry’s General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular No. 14/ 2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/ 2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 and General Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred to as “MCA Circulars”) and other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with SEBI’s Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and other relevant Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and in compliance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”/“LIC Act”) read with Life Insurance Corporation General Rules, 1956, provisions of Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”/ “SEBI (LODR) Regulations, 2015”), the Corporation has decided to hold its 2<sup>nd</sup> AGM through Video-conferencing (“VC”) or other audio visual means (“OAVM”) (hereinafter referred to as “electronic means”) i.e. without the physical presence of the members.
- An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 3 to 11 of this Notice is annexed hereto.
- PURSUANT TO THE PROVISIONS OF THE LIC ACT, 1956 READ WITH RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956, A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE CORPORATION. SINCE THIS AGM IS BEING HELD THROUGH VC, THE REQUIREMENT OF PHYSICAL ATTENDANCE OF MEMBERS HAS BEEN DISPENSED WITH. ACCORDINGLY, THE FACILITY FOR APPOINTMENT OF PROXIES BY THE MEMBERS WILL NOT BE AVAILABLE FOR THIS AGM AND HENCE THE PROXY FORM, ATTENDANCE SLIP AND ROUTE MAP OF THE AGM VENUE ARE NOT ANNEXED TO THIS NOTICE.**
- Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 read with Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in respect of the Directors seeking appointment/re-appointment at the 2<sup>nd</sup> AGM are annexed hereto as Annexure - A to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Directors seeking appointment/re-appointment.

5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode during 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the National Securities Depository Limited ('NSDL') e-Voting website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by ICSI.
6. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for minimum 1,000 members on first come first served basis (FCFS). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Auditors, etc.
7. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation shall be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)
8. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.
9. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2022-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories as at the close of business hours on July 21, 2023 (Friday). The Notice convening the 2<sup>nd</sup> AGM has been uploaded on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in) and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
10. Record Date for Dividend:
  - a) Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members may note that the Board, in its meeting held on May 24, 2023 has recommended a final dividend of ₹ 3/- per equity share of face value of ₹10 each for the financial year ended March 31, 2023. The Record Date for the purpose of final dividend was Friday, July 21, 2023.
  - b) Final Dividend for the financial year 2022-23, once approved by the members in the 2<sup>nd</sup> AGM will be paid to the Members by September 20, 2023 (Wednesday), i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/ beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on Friday, July 21, 2023.
  - c) Members holding shares in demat form are hereby informed that bank particulars registered with their respective Depository Participants with whom they maintain their demat accounts will be used by the Corporation for payment of dividend. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants.
  - d) Members holding shares in physical form are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed letter which shall contain member's name, folio number, bank details (viz. Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com)
  - e) To the members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode to the address registered in Corporation's records.
  - f) Pursuant to Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of the members w.e.f., April 01, 2020 and the Corporation is required to deduct tax at source from dividend paid to the shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof.

A resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/ 15H.

Non-resident shareholders including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. Declaration on No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.

A communication for the same was sent to the members on Friday, July 07, 2023, whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before Friday, July 28, 2023.
11. In respect of the physical shareholding, in order to prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Registrar of any change in their addresses, telephone numbers, e-mail ids, nominees or joint holders, as the case may be.

The Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has mandated submission of Permanent Account Number ('PAN') by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form

are requested to submit their PAN details to the Registrar (RTA).

12. Pursuant to Regulation 40(1) of the Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialised form with effect from April 1, 2019. Members may please note that SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022, has mandated Listed Companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Further, it may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant. SEBI, vide its notification dated January 24, 2022, has mandated that all requests for transmission and transposition shall be processed only in dematerialised form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Corporation or RTA, for assistance in this regard.

13. Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act, 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.

**14. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:**

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSDPoD-1/P/ CIR/2023/37 dated March 16, 2023, issued in supersession of earlier circulars issued by SEBI bearing nos. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD RTAMB /P/CIR/2021/655 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/ P/CIR/2021/687 dated November 03, 2021 and December 14, 2021, respectively, SEBI has mandated all listed companies to record PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers of holders of physical securities. The folios wherein any one of the cited documents/details is not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

The securities in the frozen folios shall be eligible:

- ✓ To lodge any grievance or avail of any service, only after furnishing the complete documents / details as mentioned above;
- ✓ To receive any payment including dividend, interest or redemption amount (which would be only through electronic mode) only after they comply with the above stated requirements.

In view of the above, we urge Members holding shares in physical form to submit the required forms along with the supporting documents at the earliest. Members who hold shares in dematerialised form and wish to update their PAN, KYC, Bank details and Nomination, are requested to contact their respective DPs. Further, Shareholders holding shares in physical form are requested to ensure that their PAN is linked to Aadhaar to avoid freezing of folios. Such frozen folios shall be referred by RTA/ Corporation to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, after December 31, 2025.

As on date of the issue of notice, the Corporation has not issued any shares in the physical form.

15. Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

16. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

**17. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:**

- (1) Shareholders holding shares in physical form, are requested to register/ update their email addresses by clicking on <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> or by writing to the RTA with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).
- (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self-attested copy of Aadhar Card) to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com). If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in para 21 at **step 1 (A)** i.e., [Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode](#).
- (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

- (iv) In terms of SEBI circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.
18. Remote e-voting before/during the AGM:
- (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for casting votes by a Member using remote e-Voting system as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL.
  - (ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date of Monday, August 14, 2023, may cast their vote by remote e-Voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM. Any non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 14, 2023 (Monday), may obtain the User ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)
  - (iii) Individual shareholders holding securities in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 14, 2023 (Monday), may follow the login process mentioned below in para 21.
  - (iv) The remote e-Voting period commences on Friday, August 18, 2023 at 0930 hrs (IST) and ends on Monday, August 21, 2023 at 1700 hrs (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., August 14, 2023.
  - (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting i.e., August 22, 2023 (Tuesday).
  - (vi) The remote e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
19. Ms. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Mr. Viswanathan N.S. (Membership No. ACS 61955) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-Voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-Voting (votes cast through remote e-Voting before/during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed, NSDL and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at [www.licindia.in](http://www.licindia.in). It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.
20. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:
- (i) Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned below under para 21 for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join General meeting"** menu against Corporation's name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the **EVEN (124695)** of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice early to avoid last minute rush.
  - (ii) Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
  - (iii) Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 2<sup>nd</sup> AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) from Thursday, August 17, 2023 at 0930 hrs (IST) to Sunday, August 20, 2023 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.

- (iv) Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) between Thursday, August 17, 2023 at 0930 hrs (IST) to Sunday, August 20, 2023 at 1700 hrs (IST). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
- (v) Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in) /1800 1020 990 or 1800 224 430.

**21. Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General meeting are as under:**

The remote e-voting period begins on Friday, August 18, 2023 at 0930 hrs (IST) and ends on Monday, August 21, 2023 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. August 14, 2023, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date, being August 14, 2023.

**How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?**




The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode:**

In terms of SEBI circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Existing <b>IDeAS</b> user can visit the e-Services website of NSDL Viz. <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “<b>Beneficial Owner</b>” icon under “<b>Login</b>” which is available under ‘<b>IDeAS</b>’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “<b>Access to e-Voting</b>” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>. Select “<b>Register Online for IDeAS Portal</b>” or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> <li>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “<b>NSDL Speede</b>” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p>    </div>



<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Users who have opted for Easi / Easiest, can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> or <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on New System Myeasi.</li> <li>After successful login of Easi/Easiest the user will also be able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b>. Click on <b>NSDL</b> to cast your vote.</li> <li>If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a></li> <li>Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. <b>NSDL</b> where the e-Voting is in progress.</li> </ol>
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p>

**Important note:** Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at [abovementioned website](https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration).

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL**

Login type	Helpdesk details
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p>	<p>Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30</p>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43</p>

**B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**How to Log-in to NSDL e-Voting website?**

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
- Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

*Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*



**The instructions for e-Voting during the Annual General Meeting (AGM) are as under:**

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

**General Guidelines for shareholders:**

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "[Forgot User Details/Password?](#)" or "[Physical User Reset Password?](#)" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in) and/or [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

**STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956**
**Item No. 3**

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956"), the Board of Directors of the Corporation, in its meeting held on May 24, 2023, has recommended a final dividend of ₹ 3 per equity share of the face value of ₹10/- each, subject to declaration by the members of the Corporation in Annual General Meeting. This translates into a dividend pay-out ratio of 5.22%. The same was disclosed to the stock exchanges on May 24, 2023.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 3 set out in the notice.

**Item No. 4**

In terms of Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956") read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and the provisions of the Board approved policy for appointment of Statutory Auditors and other Divisional Auditors, the appointment of Statutory Auditors (by whatever name called as per the Board approved policy of the Corporation on selection of Auditors', as amended from time to time) of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM.

The two Statutory Auditors of the Corporation viz, M/s RGN Price & Co., Chennai (Firm Registration No.: 002785S) and M/s ABM & Associates LLP, Mumbai (Firm Registration No.: 105016W/W-100015) retire at the conclusion of the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Corporation to be held on August 22, 2023.

Pursuant to the foregoing provisions of Life Insurance Corporation Act, 1956 and based on the recommendations of the Audit Committee and the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on May 24, 2023, it is proposed to appoint following firms as the Statutory Auditors of the Corporation:

S. No.	Name of Auditor	CAG Empanelment Number	Head Office	Firm Registration Number (FRN)	Tenure of appointment
1	M/s R. Subramanian and Co. LLP	MD0068	Chennai	004137S/ S-200041	3 years commencing from the conclusion of 2 <sup>nd</sup> AGM till the conclusion of the 5 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2026
2	M/s Borkar & Muzumdar	BO0007	Mumbai	101569W	5 years commencing from the conclusion of 2 <sup>nd</sup> AGM till the conclusion of the 7 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2028

M/s R. Subramanian and Co. LLP, Chennai (Firm Registration No.: 004137S/ S-200041) has completed two years as Divisional Auditor of the Corporation and is proposed to be appointed as Statutory Auditor of the Corporation for the balance period of 3 years commencing from the conclusion of 2<sup>nd</sup> AGM till the conclusion of the 5<sup>th</sup> AGM to be held in the year 2026, which is in line with the provisions of LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder.

Both, M/s R. Subramanian and Co. LLP, Chennai (Firm Registration No.: 004137S/ S-200041) and M/s Borkar & Muzumdar, Mumbai (Firm Registration No.: 101569W), have consented to the said appointment and confirmed that their appointment, if made, would be within the limits specified under the applicable laws.

Accordingly, it is proposed to authorize the Board of Directors to approve other terms and conditions and remuneration for appointment of aforesaid Statutory Auditors on the recommendation of the Audit Committee. The names of the firms proposed to be appointed as Statutory Auditors are given in the resolution contained under item no. 4 of the AGM notice.

Further, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment and/or re-appointment of other Divisional Auditors of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder and to approve their terms and on the other terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

## Notice



None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

The Board recommends the passing of the resolutions, as set out under item no. 4 of the AGM Notice.

### Item No. 5

The Government of India, vide its letter dated March 11, 2023, had entrusted financial and administrative powers and functions of Chairperson of Life Insurance Corporation of India in the interim to Mr Siddhartha Mohanty, Managing Director in addition to his own duties, for a period of three months w.e.f., March 14, 2023, or till assumption of the charge by the regular appointee to the said post, or until further orders, whichever is the earliest.

Further, the Government of India, vide its notification dated April 28, 2023, has appointed Mr. Siddhartha Mohanty, Managing Director & in-charge as Whole Time Chairperson of Life Insurance Corporation of India w.e.f., April 29, 2023 till June 29, 2024, and thereafter, as Chief Executive Officer and Managing Director till June 07, 2025, i.e., up to the date of his attaining the age of 62 years, or until further orders, whichever is earlier in the pay scale of ₹ 2,25,000/- (fixed).

Mr. Mohanty, the Chairperson of the Corporation since April 29, 2023, holds a Bachelor's degree in Law and a Master's degree in Arts (Political Science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He also holds a Post Graduate Certification in Business Management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, Odisha. Prior to becoming the Chairperson, Mr. Mohanty served as Managing Director of the Corporation. During his tenure as Managing Director, Mr. Mohanty facilitated the transformation of the organization into a listed entity.

Mr. Mohanty previously served as COO and CEO of LIC Housing Finance Limited, before taking charge as the Managing Director of LIC. During his long and illustrious tenure, he has held various other positions in LIC of India, such as Senior Divisional Manager of Raipur and Cuttack, Chief (Legal), Chief (Investment – Back Office), Executive Director (Legal), amongst others. During his tenure as Chief (Legal), Mumbai, the Corporation won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" at the Legal Era Awards 2013-14. Mr. Mohanty joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has wide experience in the insurance sector.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 5 of the AGM notice for taking formal approval of Mr. Siddhartha Mohanty's appointment as Whole Time Chairperson of the Corporation.

Except Mr. Siddhartha Mohanty and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 5.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 5 of the AGM Notice.

### Item No. 6

The Government of India vide their notification dated March 13, 2023, had appointed Mr. Jagannath M. as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office and upto the date of his superannuation (i.e., May 31, 2025) or until further orders, whichever is earliest. Mr. Jagannath M. took charge as Managing Director of the Corporation on March 13, 2023.

Mr. Jagannath M. joined the Corporation as a Direct Recruit Officer in 1988. He has rich experience in marketing and has held various important assignments and led large teams successfully. A Commerce graduate, his academic qualifications include CA (Inter), PG Diploma in Marketing, International PG Diploma in Life Insurance, General Insurance & Risk Management from the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM), Hyderabad and Associate Member of the Insurance Institute of India, Mumbai. He has worked as Senior Divisional Manager in-charge of Ernakulam, Dharwad and Bangalore - I Divisions. He also served as Chief Executive Officer and Managing Director of Life Insurance Corporation (Lanka) Limited, Colombo, Sri Lanka between 2009 and 2013 for a period of 4 years. His previous assignment was as Zonal Manager, South Central Zone, Hyderabad, which comprises of three states i.e., Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 6 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Jagannath M. as Managing Director of the Corporation.

Except Mr. Jagannath M. and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 6.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 6 to the AGM Notice.

### Item No. 7

The Government of India, vide their notification dated March 13, 2023, had appointed Mr. Tablesch Pandey as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office on or after April 01, 2023 and upto the date of his superannuation (i.e., May 31, 2025) or until further orders, whichever is earliest. Mr. Tablesch Pandey took charge as Managing Director of the Corporation on April 01, 2023.

Mr. Tablesch Pandey joined Life Insurance Corporation of India as Direct Recruit Officer in February, 1988 and has vast experience in the Insurance Sector and related fields. He holds a Bachelor of Technology in Agricultural Engineering. He is qualified Associate Member of Actuarial Society of India. Mr Pandey has previously served in positions such as Regional Manager (Information Technology) in Bhopal, Patna and Chennai. He has held various positions such as Chief (Actuarial), Chief (P&GS) and Executive Director (Investment-Mid Office). His previous assignment was the Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer of the Corporation.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 7 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Tablesch Pandey as Managing Director of the Corporation.

Except Mr. Tablesch Pandey and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 7.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 7 to the AGM Notice.

**Item No. 8**

Pursuant to the amendments notified in LIC Act 1956 on June 30, 2021 by the Government of India, Section 24 of the Act provides for maintaining two funds, namely participating and non-participating policyholders funds. Further, Section 28 of LIC Act 1956 lays down the provisions for distribution of surplus arising from the Participating and Non-participating business of the Corporation.

The Surplus Distribution Policy of the Corporation formulated in accordance with Section 28 of the LIC Act, 1956, is applicable to all the life insurance policies of the Corporation. As per the Surplus Distribution Policy the proportion of the surplus under participating fund to be shared between the Policyholders and the shareholder is proposed to gradually change from 95:5 to 92.5:7.5 for FYs 2022-23 and 2023-24 and then to 90:10 from FY 2024-25 onwards.

In terms of Section 24(2) of the Amended Act, members, by resolution in a general meeting, may exempt maintenance of such funds for one financial year at a time up to two financial years.

The expenses incurred in the bifurcation of the funds and implementation of the Surplus Distribution Policy in the three overseas branches may far outweigh the benefits to the Shareholders of LIC of India received in the form of increased valuation surplus. Also, there are various Regulatory complexities involved in maintaining bifurcated funds by three overseas branches. In view of these, surplus distribution pattern of 95:5 is maintained by LIC UK and LIC Mauritius for FY 2022-23 and LIC Fiji for FY 2022.

For the reasons explained above, the Board has recommended to obtain post-facto approval of members in the Annual General Meeting in terms of the aforesaid Section 24(2) of the LIC Act, 1956, for seeking exemption for the three overseas Branches from the bifurcation of funds and implementation of Surplus Distribution Policy, for the FY 2022-23 in LIC UK and LIC Mauritius and for the FY 2022 in LIC Fiji Branch and approval of said exemption for the FY 2023-24 in LIC UK and LIC Mauritius and for FY 2023 in LIC Fiji Branch.

The members are, therefore, requested to grant their approval to the above proposal by way of Ordinary Resolution in respect of the three overseas branches viz; LIC UK, LIC Mauritius and LIC Fiji for the said financial years.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolution.

The Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 8 of the AGM Notice.

**Item No. 9**

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2024. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 9, during FY2024, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2024, as required, under SEBI's Circular ref no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P2021/662 dated November, 2021 are provided herewith:

S. No.	Particulars	Type of Transaction
1	Name of the Related Party	LIC Mutual Fund Asset Management Limited
2	Nature of Relationship	Associate Company
3	Value of the transaction	₹ 20,000 crore
4	Material Terms	90 days Redemption
5	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial
6	Tenure of the transaction	90 days
7	% of value of transaction/ the Company's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2023)	0.05%
8	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Investible Surplus
9	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not Applicable
10	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/unsecured, if secured, nature of security	Not Applicable
11	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms
12	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms
13	Valuation or other external party report	Not Applicable

## Notice



In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2023-24 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 9 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Company and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 9 of the AGM Notice.

### Item No. 10

The Government of India vide their notification dated June 28, 2023, has appointed Dr. Maruthi Prasad Tangirala as Government Nominee Director of the Corporation until further orders, in place of Mr. Suchindra Misra.

Dr. Maruthi Prasad Tangirala is a 1990 batch officer of the Indian Post & Telegraph Accounts and Finance Service. He has worked in the areas of revenue assurance, financial advice, vigilance, training and licensing finance in the Department of Telecommunications, Government of India, and in financial and economic analysis in the telecom sector regulator, TRAI, in three stints, last as Principal Advisor. He worked as Executive Director, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Hyderabad. He had been Government nominee Director in BSNL, and was on the Boards of Insurance Information Bureau and Institute of Insurance and Risk Management during his stint at IRDAI. He worked in the Union Public Service Commission, in two stints.

He is a PhD scholar from the Centre for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, New Delhi where his thesis was on the institutional aspects of regulatory governance in the Indian telecom services sector, published as a monograph by Routledge. He is at present Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 10 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala.

Except Dr. Maruthi Prasad Tangirala and his relatives and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the resolution contained under Item No. 10.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 10 of the AGM Notice.

### Item No. 11

The Government of India vide their notification dated July 19, 2023, has appointed Mr. Sat Pal Bhanoo as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office and upto the date of his superannuation (i.e., December 31, 2025) or until further orders, whichever is earliest. Mr. Sat Pal Bhanoo took charge as Managing Director of the Corporation on July 20, 2023.

Mr. Sat Pal Bhanoo joined Life Insurance Corporation of India as Assistant Administrative Officer in October 1988. He holds a Bachelor's Degree in History (Honors) from Himachal Pradesh University, Shimla.

Mr. Sat Pal Bhanoo was Zonal Manager (In- Charge) of Central Zone, Bhopal before taking charge as Managing Director of the Corporation. He held various other prominent positions in the Corporation such as Sr. Divisional Managers of Bangalore-I and Shimla Divisions; Regional Manager (Micro Insurance), Regional Manager (Corporate Communications), Regional Manager (Personnel & Industrial Relations) of Northern Zone, New Delhi and an Additional Director, Zonal Training Centre, Bhopal. He was also Chief (Marketing/Senior Business Associate), in Central Office

Mr. Sat Pal Bhanoo considers Human Resources Development as the key factor in development of the Organization and likes to meet people to motivate them to contribute the best to the Corporation and to achieve higher goals in life.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under item No. 11 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Sat Pal Bhanoo as Managing Director of the Corporation.

Except Mr. Sat Pal Bhanoo and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 11.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 11 to the AGM Notice.

By order of the Board of Directors  
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-

Pawan Agrawal

Company Secretary & Compliance Officer  
(Membership No.: FCS 7744)

Date: July 21, 2023

Place: Mumbai

### Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Directors seeking appointment/re-appointment:

<b>Name of Director</b>	<b>Mr. Siddhartha Mohanty</b>
Age	60 years
Nationality	Indian
Qualification	MA, LL.B, PGCBM and Licentiate from Insurance Institute of India
DIN	08058830
Brief Resume	<p>Mr. Mohanty, the Chairperson of the Corporation since April 29, 2023 holds a Bachelor's degree in Law and a Master's degree in Arts (Political Science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. He also holds a Post Graduate Certification in Business Management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, Odisha. Prior to becoming the Chairperson, Mr. Mohanty served as Managing Director of the Corporation. During his tenure as Managing Director, Mr. Mohanty facilitated the transformation of the organization into a listed entity.</p> <p>Mr. Mohanty previously served as COO and CEO of LIC Housing Finance Limited, before taking charge as the Managing Director of LIC. During his long and illustrious tenure, he has held various other positions in LIC of India, such as Senior Divisional Manager of Raipur and Cuttack, Chief (Legal), Chief (Investment – Back Office), Executive Director (Legal), amongst others. During his tenure as Chief (Legal), Mumbai, the Corporation won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" at the Legal Era Awards 2013-14. Mr. Mohanty joined the Corporation in the year 1985 as an apprentice officer and has wide experience in the insurance sector.</p>
Expertise in specific functional areas	Administration, Life Insurance, Legal, Marketing & Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated January 20, 2021 and April 28, 2023 read with letter dated March 11, 2023. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Details of remuneration and remuneration last drawn	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 220 to 257.
Date on which first appointed on the Board	February 02, 2021
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 220 to 257.
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 220 to 257.
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	<p>He has resigned w.e.f., January 31, 2021, from the Board of following listed companies due to his appointment as Managing Director of the Corporation w.e.f., February 02, 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kesoram Industries Limited</li> <li>(2) LIC Housing Finance Limited</li> </ol>
<b>Name of Director</b>	<b>Mr. Jagannath M.</b>
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Com, CA(Inter), PGDM and International PGD in Life Insurance, General Insurance & Risk Management
DIN	10090437
Brief Resume	<p>He is the Managing Director of the Corporation. He has rich experience in marketing and has held various important assignments and led large teams successfully. A Commerce graduate, his academic qualifications include CA (Inter), PG Diploma in Marketing, International PG Diploma in Life Insurance, General Insurance &amp; Risk Management from the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM), Hyderabad and Associate Member of the Insurance Institute of India, Mumbai. He has worked as Senior Divisional Manager in-charge of Ernakulam, Dharwad and Bangalore - I Divisions. He also served as Chief Executive Officer and Managing Director of Life Insurance Corporation (Lanka) Limited, Colombo, Sri Lanka between 2009 and 2013 for a period of 4 years. His previous assignment was as Zonal Manager, South Central Zone, Hyderabad, which comprises of three states i.e., Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka.</p>
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance and Corporate Governance

Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated March 13, 2023. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Details of remuneration and remuneration last drawn	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 220 to 257.
Date on which first appointed on the Board	March 13, 2023
Details of shareholding in the Corporation	100 Equity Share
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 220 to 257.
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 220 to 257.
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

<b>Name of Director</b>	<b>Mr. Tablesh Pandey</b>
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Tech (Agricultural Engineering) and Associate Member of Actuarial Society of India
DIN	10119561
Brief Resume	He is the Managing Director of the Corporation. He has vast experience in the Insurance Sector and related fields. He has previously served in positions such as Regional Manager (Information Technology) in Bhopal, Patna and Chennai. He has held various positions such as Chief (Actuarial), Chief (P&GS) and Executive Director (Investment-Mid Office). Before taking over charge as Managing Director on April 01, 2023, he was the Executive Director (ERM) and Chief Risk Officer of the Corporation.
Expertise in specific functional areas	Administration, Life Insurance, Actuarial and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated March 13, 2023. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Details of remuneration and remuneration last drawn	Not applicable
Date on which first appointed on the Board	April 01, 2023
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Not applicable
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Chairman/ Director on the Board of other entities: <ul style="list-style-type: none"> <li>● LIC Cards Services Limited</li> <li>● Life Insurance Corporation (Nepal) Limited</li> <li>● LIC Mutual Fund Trustee Private Limited</li> </ul> Chairmanship/Membership of Committee: None
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

<b>Name of Director</b>	<b>Dr. Maruthi Prasad Tangirala</b>
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	BE(Civil), PGDM, LLB, M.Phil and PhD
DIN	03609968
Brief Resume	Dr. Maruthi Prasad Tangirala is a 1990 batch officer of the Indian Post & Telegraph Accounts and Finance Service. He has worked in the areas of revenue assurance, financial advice, vigilance, training and licensing finance in the Department of Telecommunications, Government of India, and in financial and economic analysis in the telecom sector regulator, TRAI, in three stints, last as Principal Advisor. He worked as Executive Director, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Hyderabad. He had been Government nominee Director in BSNL, and was on the Boards of Insurance Information Bureau and Institute of Insurance and Risk Management during his stint at IRDAI. He worked in the Union Public Service Commission, in two stints.



	He is a PhD scholar from the Centre for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, New Delhi where his thesis was on the institutional aspects of regulatory governance in the Indian telecom services sector, published as a monograph by Routledge. He is at present Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services.
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated June 28, 2023. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Details of remuneration and remuneration last drawn	Not applicable
Date on which first appointed on the Board	June 28, 2023
Details of shareholding in the Corporation	Nil
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Not applicable
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Government Nominee Director/Member on the Board of other entities: <ul style="list-style-type: none"> <li>Indian Bank</li> <li>National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)</li> <li>General Insurance Corporation of India (GIC Re)</li> <li>Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)</li> </ul> Chairmanship/Membership of Committee: None
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

<b>Name of Director</b>	<b>Mr. Sat Pal Bhanoo</b>
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B.A. in History (Honors)
DIN	*Not Applicable
Brief Resume	Mr. Sat Pal Bhanoo joined Life Insurance Corporation of India as Assistant Administrative Officer in October 1988. He holds a Bachelor's Degree in History (Honors) from Himachal Pradesh University, Shimla. Mr. Sat Pal Bhanoo was Zonal Manager (In-Charge) of Central Zone, Bhopal before taking charge as Managing Director of the Corporation. He held various other prominent positions in the Corporation such as Sr. Divisional Managers of Bangalore-I and Shimla Divisions; Regional Manager (Micro Insurance), Regional Manager (Corporate Communications), Regional Manager (Personnel & Industrial Relations) of Northern Zone, New Delhi and an Additional Director, Zonal Training Centre, Bhopal. He was also Chief (Mktg./Senior Business Associate), in Central Office Mr. Sat Pal Bhanoo considers Human Resources Development as the key factor in development of the Organization and likes to meet people to motivate them to contribute the best to the Corporation and to achieve higher goals in life.
Expertise in specific functional areas	Administration, Life Insurance, Human Resource and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated July 19, 2023. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Details of remuneration and remuneration last drawn	Not Applicable
Date on which first appointed on the Board	July 20, 2023
Details of shareholding in the Corporation	50 Equity Share
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Not Applicable
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Nil
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil

\*Section 153 of the Companies Act, 2013 and the rules thereunder pertaining to holding of DIN by a Director are not applicable to the Corporation. However, Mr. Bhanoo will be obtaining DIN in due course of time.